



Neutral Citation No-2026:AHC:10110

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं - 3754 वर्ष 2025

सुरेंद्र याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: पंकज कुमार राय, संदीप मणिजी बखशी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कौशलेंद्र

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, निजी प्रतिपक्षी संख्या-3 के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.07.2025 के आदेश का उल्लंघन किया है, जिसके तहत प्रतिपक्षी संख्या-4 के पक्ष में एक एकपक्षीय अंतरिम आदेश दिया गया था, जिसमें दिनांक 18.07.2025 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी गई थी। प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने दिनांक 31.10.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया, जो इस प्रकार है: -

"1. चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 26.7.2025 के आदेश के साथ दिनांक 26.7.2025 के आवेदन की प्रमाणित प्रति अभिलेखों पर ली जाती है।

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, श्री कौशलेंद्र, निजी प्रतिपक्षी के अधिवक्ता और श्री अजय कुमार बरनवाल, राज्य के स्थायी अधिवक्ता को सुना।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9-ए(2) के तहत चकबंदी अधिकारी ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का लाभ देने के साथ-साथ दिनांक 25.10.2013 के आदेश को रद्द करने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा दायर बहाली आवेदन को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुमति दी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिपक्षी द्वारा 26.7.2005 को बहाली आवेदन दायर किया गया है, बिना किसी केस संख्या का उल्लेख किए और उसी आवेदन पर चकबंदी अधिकारी द्वारा 18.7.2023 के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संबंधित चकबंदी अधिकारी को चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 26.7.2025 के आदेश के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया था, इस प्रकार, उनके द्वारा 26.7.2025 को कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

4. दूसरी ओर, निजी पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चकबंदी अधिकारी को 28.7.2025 को कार्यमुक्त कर दिया गया था, इस प्रकार, 26.7.2025 को दायर बहाली आवेदन पर विचार करने में कोई अवैधता नहीं है।

5. श्री अजय कुमार बरनवाल, स्थायी अधिवक्ता इस मामले में निर्देश प्राप्त करेंगे कि क्या चकबंदी अधिकारी 26.7.2025 को चकबंदी अधिकारी, किरतरपुर, जौनपुर के रूप में कार्यालय का प्रभार संभाल रहे थे या नहीं। उन्हें यह भी निर्देश प्राप्त होगा कि क्या चकबंदी अधिकारी ने अन्य मामलों में भी 26.7.2025 को आदेश पारित किए हैं। 6. इस मामले को 18.11.2025 को नए सिरे से पेश करें।

3. स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि इस आदेश के अलावा, संबंधित चकबंदी अधिकारी ने एक अन्य मामले में भी आदेश पारित किया है और उन्हें 28.07.2025 को कार्यालय से मुक्त कर दिया गया था।

4. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और अभिलेखों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि बहाली आवेदन दिनांक 18.07.2025 के आदेश के खिलाफ 26.07.2025 को दायर किया गया था। हालांकि, उसी तारीख को, अंतरिम राहत प्रदान की गई है, अर्थात् 26.07.2025 को प्रस्तुत याचिकाकर्ता, जो 26.07.2025 के बहाली आवेदन में प्रतिपक्षी था, को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

5. उपरोक्त के रूप में इस परिप्रेक्ष्य में, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 26.07.2025 का आदेश निष्पक्ष है और इसे रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रस्तुत रिट याचिका सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है। चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 26.07.2025



का आदेश रद्द किया जाता है। संबंधित चकबंदी अधिकारी को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर बहाली आवेदन के साथ दायर किए गए स्थगन आवेदन पर निर्णय ले।

7. मामले से अलग होने से पहले, प्रतिपक्षी संख्या-3 के अधिवक्ता ने प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा दायर स्थगन आवेदन के साथ-साथ दिनांक 26.07.2025 के पुनर्स्थापना आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की है।

8. प्रस्तुत मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रदान किया जाता है कि एक महीने की अवधि के लिए या स्थगन आवेदन पर निर्णय तक, जो भी पहले हो, दोनों पक्षों को मौके पर स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थगन आवेदन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दिन के आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी, यदि कोई हो, से प्रभावित हुए बिना अपनी योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा।

जनवरी 12, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)